परिपत्र संख्या 241/35/2024-जीएसटी

एफ. संख्या सीबीआईसी-20001/14/2024-जीएसटी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

जीएसटी पॉलिसी विंग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

तारीख : 31 दिसंबर , 2024

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त,(केन्द्रीय कर)
सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक ।

महोदया/महोदय,

विषय: एक्स वर्क्स अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके व्यवसाय के स्थान पर वितरित किए गए माल के संबंध में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण-के संदर्भ में।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे में "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार एक्स वर्क्स अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता द्वारा उसके व्यवसाय के स्थान पर वितरित किए गए माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट (जिसे आगे में "आईटीसी" कहा जाएगा) की उपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

1.2 यह कहा गया है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल डीलरों और मूल उपकरण निर्माताओं (ओ.ई.एम) के बीच अनुबंध आम तौर पर एक एक्स-वर्क्स (ई.एक्स.डब्ल्यू) अनुबंध होता है, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, माल (अर्थात वाहन) में संपत्ति ओ.ई.एम के कारखाने के गेट पर डीलर को तब हस्तांतरित होती है, जब डीलर के कहने पर माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया जाता है, और ओ.ई.एम की ओर से डिलीवरी उनके कारखाने के गेट पर पूरी हो जाती है। परिवहन की व्यवस्था आम तौर पर डीलर की ओर से ओ.ई.एम द्वारा की जाती है और जहाँ बीमा की व्यवस्था की जाती है, वहाँ भी आम तौर पर डीलर की ओर से ही की जाती है। नुकसान की स्थिति में कोई भी दावा डीलर द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। डीलर ओ.ई.एम के फ़ैक्टरी गेट पर वाहनों की ऐसी डिलीवरी पर अपने खातों की पुस्तकों में चालान का भी विधिवत हिसाब रखता है। डीलर आईटीसी का लाभ उस तिथि को लेता है जिस दिन वाहनों का बिल उसके लिए काटा जाता है तथा वाहन ओ.ई.एम द्वारा उसे फैक्ट्री गेट पर ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया जाता है। हालांकि, कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों का मानना है कि डीलर द्वारा आईटीसी

का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब वाहन उसके व्यावसायिक परिसर में भौतिक रूप से प्राप्त हो जाए। इस संबंध में कई डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आईटीसी का गलत लाभ उठाने के कारण कर की मांग की गई है।

2. मुद्दे को स्पष्ट करने और क्षेत्रीय संरचनाओं में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे में "सीजीएसटी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 168(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करता है।

3. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2), सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 का एक अविवादित खंड है, जो शर्तों को सूचीबद्ध करता है, जिसके पूरा न होने पर पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में आईटीसी का हकदार नहीं होता है। उक्त उपधारा के खंड (ख) के अनुसार शर्तों (नीचे पुन: प्रस्तुत) में से एक यह है कि पंजीकृत व्यक्ति किसी भी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में आईटीसी का दावा करने का हकदार तब तक नहीं है जब तक कि उसने उक्त माल या सेवाओं या दोनों को “प्राप्त” नहीं किया हो। उक्त खंड के स्पष्टीकरण में कुछ परिदृश्यों में माल और सेवाओं की प्राप्ति माने जाने का प्रावधान है।

“धारा 16. इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए पात्रता एवं शर्तें।

......

(2) इस धारा में कुछ भी होने के बावजूद , कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी इनपुट कर के क्रेडिट का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, -

......

(ख) उसने माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने माल या, जैसा भी मामला हो, सेवाएं प्राप्त कर ली हैं-

(i) जहां माल आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर वितरित किया जाता है, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या भिन्न प्रकार से , माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान, या तो माल के शीर्षक के दस्तावेजों के स्थानांतरण के माध्यम से या भिन्न प्रकार से;

(ii) जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर तथा उसके कारण सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

......”

3.1 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड(ख) के सामान्य अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इसमें किसी विशेष स्थान का संदर्भ नहीं है जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल को “प्राप्त” किया जाना अपेक्षित है। यह पूर्ववर्ती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के विपरीत है, जहां प्रावधानों के तहत उक्त वस्तुओं पर केन्द्रीय वैट क्रेडिट लेने के लिए निर्माता के कारखाने में वस्तुओं की भौतिक प्राप्ति की बात कही गई थी। अधिकांश राज्य वैट अधिनियमों में इनपुट टैक्स के क्रेडिट से

संबंधित प्रावधानों में किसी विशेष स्थान पर माल की भौतिक प्राप्ति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था तथा माल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई थी।

3.2 सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि माल को इस खंड के प्रयोग के लिए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा "प्राप्त" किया गया माना जाएगा, जहां:

क) माल आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को या ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को वितरित किया जाता है, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्य किसी रूप में ;

(ख) ऐसा निर्देश माल की आवाजाही से पहले या उसके दौरान दिया जा सकता है; और

(ग) माल की सुपुर्दगी माल के शीर्षक के दस्तावेजों के स्थानांतरण के माध्यम से या अन्य प्रकार से की जा सकती है।

3.2.1 उक्त स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को माल वितरित किया जाता है, चाहे वह एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, और जहां ऐसी सुपुर्दगी, माल के नाम के शीर्षक के दस्तावेजों के स्थानांतरण के माध्यम से या अन्यथा होती है, पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए ऐसे माल को "प्राप्त" करने वाला माना जाएगा। तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां आपूर्तिकर्ता द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को माल वितरित किया जाता है, या तो सीधे या उक्त पंजीकृत व्यक्ति के निर्देश पर किसी अन्य व्यक्ति को, पंजीकृत व्यक्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए उक्त माल "प्राप्त" करने वाला माना जाएगा।

3.3 वर्तमान मामले में, डीलर और ओ.ई.एम के बीच एक्स-वर्क्स अनुबंध की शर्तों के अनुसार:

क) माल डीलर को आगे भेजने के लिए ओईएम द्वारा उसके कारखाने के गेट पर ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया जाता है;

ख) डीलर की ओर से ओईएम द्वारा परिवहन की व्यवस्था की जाती है; तथा

(ग) यदि बीमा की व्यवस्था की जाती है, तो यह डीलर की ओर से की जाती है और नुकसान की स्थिति में दावा डीलर को ही दर्ज करना होता है।

3.3.1 ऐसी स्थिति में, उक्त माल की संपत्ति को ओईएम द्वारा डीलर को उसके कारखाने के गेट पर ट्रांसपोर्टर को उक्त माल सौंपने पर पारित किया गया माना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि माल को आपूर्तिकर्ता (ओईएम) द्वारा उसके कारखाने के गेट पर ट्रांसपोर्टर के माध्यम से पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को वितरित किया गया माना जा सकता है और उक्त माल की आपूर्ति ओ.ई.एम के कारखाने के गेट पर फलीभूत हुई मानी जा सकती है, भले ही माल को समय गुजर जाने के बाद पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) द्वारा भौतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के स्पष्टीकरण के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को उक्त माल को आपूर्तिकर्ता द्वारा ट्रांसपोर्टर को उसके कारखाने के गेट पर सौंपने के समय "प्राप्त" माना जा सकता है, ताकि उसे आगे पंजीकृत व्यक्ति (डीलर) को भेजा जा सके।

3.4 यही सिद्धांत अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में भी लागू होता है, जहां आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच अनुबंध एक एक्स-वर्क्स अनुबंध है, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, माल आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्तकर्ता को, या प्राप्तकर्ता की ओर से किसी अन्य व्यक्ति (ट्रांसपोर्टर सहित) को, उसके (आपूर्तिकर्ता के) व्यवसाय के स्थान पर वितरित किया जाना है और माल में संपत्ति ऐसे सौंपने के समय प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित हो जाती है। ऐसे मामलों में, उक्त माल को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार, प्राप्तकर्ता या ट्रांसपोर्टर को उक्त माल सौंपने के समय उक्त प्राप्तकर्ता द्वारा "प्राप्त" किया गया माना जा सकता है।

3.5 यह भी उल्लेख किया जाता है कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति केवल वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार है, **जिसका उपयोग व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया गया है या उपयोग किए जाने का इरादा है।** इसलिए, पंजीकृत व्यक्ति को आपूर्तिकर्ता से उसके (आपूर्तिकर्ता के) कारखाने के गेट या व्यावसायिक परिसर में माल की ऐसी प्राप्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो सकता है, जो सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 की अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि उक्त माल का उपयोग कथित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए किया गया है या उपयोग किए जाने का इरादा है।

3.6 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि माल को किसी भी स्तर पर, या उसके व्यावसायिक परिसर में उक्त माल को भौतिक रूप से प्राप्त करने से पहले या बाद में, गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विवर्तित किया गया पाया जाता है तो, पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अनुसार ऐसे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा, यदि माल प्राप्त करने के बाद किसी भी समय ऐसा माल खो जाता है, चोरी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बट्टे खाते में डाल दिया जाता है या उपहार या मुफ्त नमूनों के माध्यम से निपटाया जाता है, तो पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (ज) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं होगा।

4. अनुरोध है कि इस परिपत्र की विषय-वस्तु को सार्वजनिक करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जाएं।

5. यदि इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

संजय मंगल

प्रधान आयुक्त (जीएसटी)